

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : rmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: www.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2022-23/713

दिनांक : 01.07.2022

कार्यालय आदेश

M/s Vivek Pharmachem (India) Ltd., NH-8, Chimanpura, Amer-303102 की निविदा क्रमांक F.02(219)/RMSC/PROCUREMENT/DRUG/NIB-22/2016/ 1597 दिनांक 29.12.2016 के तहत औषधि Multivitamin Tablets NFI Formula Sugar Coated Vit A 2500 Iu Vit B1-2mg Vit- B6-0.5mg Vit-C-50mg Calcium Pantothenate-1mg Vit-D3-200iu Vit-B2-2 Mg Niacinamide-25mg Folic Acid-0.2 Mg[394] की दरों के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधि सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक - 1810 दिनांक 21.08.2018 जारी किया गया था।


उक्त क्रय आदेश की पालना में सप्लाई की गयी औषधि को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा टेस्ट कराये जाने पर औषधि के बैच (PVT18019, PVT18020) को Assay में अमानक कोटि का घोषित किया गया।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूने को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमें औषधि के उक्त बैचों के अमानक कोटि के पाये जाने की पुष्टि हुई। उक्त बैचों को Testing हेतु Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur में भिजवाया गया। Govt. Drug Testing Laboratory Jaipur से प्राप्त रिपोर्ट में उक्त औषधि के बैचों (PVT18019, PVT18020) को अमानक कोटि का घोषित किया गया। इस संबंध में निर्माता फर्म को नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा गया।

तत्पश्चात् उक्त दोनों बैचों (PVT18019, PVT18020) की जाँच रिपोर्ट Central Drug Laboratory, Kolkatta से प्राप्त हुई, जिसमें भी उक्त बैचों को अमानक कोटि के पाए जाने की पुष्टि हुई।

Central Drug Laboratory, Kolkatta से उक्त बैचों (PVT18019, PVT18020) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 24.06.2022 को आयोजित की गई, में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया जिसमें फर्म की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को सुना गया। Central Drug Laboratory, Kolkatta ने औषधि के दो बैच (PVT18019, PVT18020) को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि की औषधि आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों एवं भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन व निविदा की शर्त के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जित दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debaring) के सम्बन्ध में जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.6(2) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s Vivek Pharmachem (India) Ltd., NH-8, Chimanpura, Amer-303102 की औषधि Multivitamin Tablets NFI Formula Sugar Coated Vit A 2500 Iu Vit B1-2mg Vit- B6-0.5mg Vit-C-50mg Calcium Pantothenate-1mg Vit-D3-200iu Vit-B2-2 Mg Niacinamide-25mg Folic Acid-0.2 Mg[394] को विभाग के पूर्व में जारी आदेश दिनांक 07.01.2022 से 04(चार) वर्ष के लिए विवर्जित (Debar) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश/क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेंटशुदा प्रश्नगत औषधि, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।


अनुपमा जोरवाल
आइ.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2022-23/713
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

दिनांक : 01.07.2022

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मिशन निदेशक, एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
7. औषधि नियंत्रक, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
9. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
10. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं सं.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
11. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
12. समस्त चिकित्सा सेवा निगम, गुजरात/केरल/तमिलनाडु/बिहार/छत्तीसगढ़/पश्चिम बंगाल/कर्नाटक/हरियाणा/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र/जम्मू कश्मीर।
13. M/s Vivek Pharmachem (India) Ltd., NH-8, Chimanpura, Amer-303102
14. आदेश पत्रावली।

कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)